ग्राम पंचायतों द्वारा पेयजल परिवहन के

<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ.4(2) आ.प्र एवं स.आ. / पेयजल / 2009–10 / 7713-52 जयपुर, दिनांक 5.4.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

विषय :– अभाव संवत 2066 में अकाल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आपात्कालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा–निर्देश।

महोदय,

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल वितरण बाबत दिशा निर्देश प्रदान किये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल वितरण के लिए सोर्स आईडेन्टिफाई करके दर प्रति कि.मी. निर्धारित कर दी जानी चाहिए तथा पंचायतों को सीधा पैसा देकर पेयजल के वितरण का जिम्मा पंचायतों के ऊपर होना चाहिए, जिससे टेण्डर प्रक्रिया के दौरान कम रेट पर लिए जाने की/ पूलिंग की प्रथा तथा कम रेट की भरपाई की चेष्टा में कम पानी की सप्लाई करने की समस्या का हल हो सके।

उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से आपदा राहत निधि से आपात्कालीन पेयजल परिवहन कराने की व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहाँ सर्वप्रथम यह प्रयास किया जावे कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वंय सेवी संस्था/दानदाताओं के सहयोग से पेयजल व्यवस्था करायी जाकर पेयजल की आपूर्ति करायी जावे।

PTO

(2) स्वंय सेवी संस्थाओं/दानदाताओं के सहयोग की संभावना कम/नगण्य हो, तो निम्नानुसार व्यवस्था की जावे :–

बिन्दु सं0 2.1 – ऐसे गॉव जहॉ अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गये हैं तथा 1.6 कि.मी. की परिधि में कोई भी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहॉ संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जावे।

बिन्दु सं0 2.2 – ऐसे गॉव जहॉ पेयजल योजनाएं विद्यमान हैं, परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गयी है, वहॉ भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जावे।

3) यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्रोली/ऊँटगाडी/बैलगाडी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पडती है, तो निम्न समिति से दरों का निर्धारण कराया जाए :–

(अ) जिला कलेक्टर अथवा इनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से कम न हो	अध्यक्ष
(ब) अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या उनका प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियन्ता से कम न हो	सदस्य
(स) कोषाधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि लेखाधिकारी या सहायक लेखाधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय	सदस्य

4) जिन समस्याग्रस्त गॉवों में पेयजल परिवहन हेतु किराए के टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्रोली/ऊँटगाडी/बैलगाडी की व्यवस्था की जानी है, वहॉ यह सुनिश्चित किया जावे कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा संभव स्थानीय हो।

5) सभी समस्याग्रस्त गॉवों /ढाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संभावित **समस्याग्रस्त गॉवों के लिए** पेयजल परिवहन की दरें, पूर्व में ही निर्धारित कर ली जावे। दरों का निर्धारण पूर्व वर्षो में निर्धारित दरों, मूल्य वृद्धि, बाजार की प्रचलित दरों एवं न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा निर्धारित की जावे। दरों का निर्धारण भिन्न भिन्न वाहनों यथा– टैंकर/टंकी का पानी की क्षमता के अनुसार पक्के/कच्चे रास्ते (Route) की अलग–अलग की जावे एवं पेयजल स्त्रोत से वितरण स्थल (डेस्टिनेशन) तक का रूट चार्ट संबंधित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता से अनुमोदन कराया जावे, जिसके अनुसार ही भुगतान कराया जावे।

6) पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहॉ से पानी रवाना हो, वहॉ अस्थाई चैक पाइन्ट या उस स्त्रोत से टैंकर मालिक को 3 कूपन जारी किए जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर नम्बर दर्ज किया जावे, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा 2 प्रति टैंकर चलाने वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गॉव जाए, उस गॉव के दो व्यक्तियों के (कम से कम एक महिला के) हस्ताक्षर कराये। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाए। एक रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक

ग्राम पंचायतों द्वारा पेयजल परिवहन के सम्बन्ध में

द्वारा टैंकरों के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए।

(7) जलदाय विभाग की स्कीमों के टैंकरों का भुगतान भी राहत मद से कलेक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को सूचित कर तदनुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। परन्तु इसका भुगतान जिला कलेक्टर के माध्यम से राहत मद अन्तर्गत अनुमत कर दिया जाए।

(8) जो गॉव जलदाय विभाग से जुडे नहीं है एवं गॉव में पानी की समस्या है, तो उन गॉव के पेयजल की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा की जावे।

(9) पेयजल स्त्रोत के रूप में यदि जिला कलेक्टरों को यदि किसी निजी कुए या ट्यूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो उसके लिए किराए का निर्धारण किया जाकर अधिग्रहण कर लिया जाए।

(10) पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर के स्तर से की जावे, जिसमें पी.एच.ई.डी. विद्युत वितरण निगम, राजस्व विभाग तथा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जावे।

(11) जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर ऑकलन एवं पेयजल व्यवस्था की निरन्तर समीक्षा की जाकर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जावे।

(12) जिला कलेक्टर उप खण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे, जिसका गठन निम्नानुसार किया जावेगा :–

उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग	सदस्य
विकास अधिकारी/प्रधान पंचायत समिति	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य

(13) जिला कलेक्टर के स्तर पर कमेटी द्वारा दरों के निर्धारण उपरान्त पेयजल परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जाएगी, जो इन निर्धारित दरों पर टैंकर किराए पर लेकर पेयजल की आपूर्ति गॉव में कर सकती है तथा पेयजल परिवहन के बिल का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर पाक्षिक रूप से करने के उपरान्त तहसील से इसका भुगतान किया जावे। तहसीलदार द्वारा इन बिलों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराया जावेगा।

(14) पेयजल परिवहन हेतु स्थान (ग्राम/ढाणी) का चयन उप खंड स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। कमेटी द्वारा अधिकृत स्थानों पर, अनुज्ञेय दिनांक से अनुज्ञेय मात्रा में प्रतिदिन पेयजल परिवहन ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जावेगा।

PTO

यदि कोई पंचायत, प्रशासन के आदेश के बाद भी, पेयजल परिवहन करवाने में किसी भी कारणवश असमर्थ रहती है, तो यह कार्य तहसीलदार/ जलदाय विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।

(15) ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित दरों पर कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने या लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर, पंचायत से यह कार्य न करवाकर, राजस्व/ जलदाय विभाग के माध्यम से भी करवा सकेगें।

ये दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101001231 दिनांक 5.4.2010 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते हैं

5/4/10

शासन सचिव